न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 18/2023 अपील (GCMS 2023/19)

पंजीयन दिनांक- 02/03/2023

निर्णय दिनांक- 01/12/2025

1. सुश्री शिवानी पुत्री रमेशचन्द्र जोशी गोद पुत्री श्यामसुंदर पिता मांगीलाल जोशी, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जोशी, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री कृष्णगोपाल पिता मांगीलाल जोशी, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल जोशी, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती कांतोदवी पुत्री मांगीलाल जोशी, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1.	श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल	-	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री सम्पतलाल बोहरा/श्री परमेश्वर पंड्या	-	अधि. रेस्पो. सं. 2 व 4
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक	-	अधि. रेस्पो. सं. 5

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 09/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021

निर्णय

दिनांक 01/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 09/2020 निर्णय 02.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 02.03.2023

को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवदेन किया गया कि श्री मांगीलाल के नाम ग्राम कपासन में संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1133, 1227 व 1228 स्थित है। श्री मांगीलाल का देहांत दिनांक 23.03.2019 को हो चुका है एवं श्री श्यामसुंदर पिता मांगीलाल द्वारा एक वसीयत अपीलांट व अन्य के हक में 100/- रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटेरी से प्रमाणित कराई गई। श्री श्यामसुंदर की मृत्यु दिनांक 22.08.2015 को हो चुकी है। वसीयतकर्ता की वसीयत दिनांक 07.08.2015 अंतिम है एवं उसकी मृत्यु के बाद प्रभावशील हो गई है। अतः प्रार्थीया के नाम वसीयत एवं विरासत के आधार पर वर्णित आराजीयात का इंतकाल खुलवा चालू जमाबंदी में अंकन कराया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः- *"उभयपक्ष के कथनों, लिखित जवाब एवं बहस के उपरांत हमने मनन किया कि वसीयतकर्ता श्री श्यामसुंदर पिता मांगीलाल के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज नहीं है। वर्तमान में भूमि मांगीलाल पिता सोलाल जोशी के नाम दर्ज है, जिसकी मृत्यु होना मृत्यु प्रामण पत्र के आधार पर जाहिर हुआ है। चुंकि वसीयत के आधार पर स्वामित्व/हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। स्वामित्व/हक अधिकार के लिए सक्षम न्यायालय में ही कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार वसीयत की वैधता की जांच इस न्यायालय के*

क्षेत्राधिकार से बाहर होने से सक्षम न्यायालय में ही वसीयत की वैद्यता का परीक्षण कराया जा सकता है साथ ही उक्त आराजीयात के संबंध में स्वयं प्रार्थीया द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का तथ्य अंकित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्यों के आधार पर उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रार्थीया तथाकथित वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा/श्री परमेश्वर पंड्या उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि श्री श्यामसुंदर पिता मांगीलाल जोशी की मृत्यु दिनांक 22.08.2015 को हुई। श्यामसुंदर पिता मांगीलाल जोशी अपने भाई रमेशचन्द्र जोशी जिनके तीन संतान क्रमशः दो पुत्री शालिनी, शिवानी एवं एक पुत्र रतनदीप है। श्यामसुंदर जोशी द्वारा सामाजिक रीति-रिवाजानुसार सुश्री शिवानी को अपने भाई रमेशचन्द्र से गोद लिया जाने से सुश्री शिवानी को श्यामसुंदर की पुत्री के तौर पर जाना व पहचाना जाने लगा। श्री श्यामसुंदर पिता मांगीलाल जोशी द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 07.08.2015 को 100/- रूपये के स्टाम्प क्रमशः (1) श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल जोशी (1) श्रीमती कांतादेवी पुत्री मांगीलाल जोशी (1) सुश्री शिवानी पुत्री रमेशचन्द्र जोशी गोद पुत्री श्यामसुंदर जोशी के पक्ष में निष्पादित किया जाकर नोटेरीशुदा है। उक्त वसीयतनामा के कॉलम संख्या 3 में उनके

द्वारा गोद पुत्री होना स्वीकृत किया तथा साथ ही अन्य संपत्तियों को वर्णित कर उसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा है। उक्त वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट द्वरा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से जांच उपरांत प्रकरण दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 23.02.2021 एवं दिनांक 02.03.2021 में प्रार्थीया एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति अंकित की गई है। संभवतः अप्रार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए आदेशिका एक ही समय में लिखि जाकर कार्यवाही की गई, इस प्रकार संधारित आदेशिका का न्यायिक महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक कार्यवाही का स्पष्ट उल्लंघन करने पारित निर्णय दोषपूर्ण हो जाता है एवं निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा एक और अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कार्यवाही का क्षेत्राधिकार नहीं मान प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया एवं इसी के साथ अप्रार्थी कन्हैयालाल का विरासत का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हुए उसे अलग से प्रार्थना पत्र पेश करने का आदेश देने में घोर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है वह श्यामसुंदर की गोद पुत्री नहीं है। उक्त प्रकरण से संबंधित पूर्व प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर अपील खारिज करने का आदेश दिया तथा वारिसान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को बहाल रखा गया, तो उसी अपीलांट द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर यह अपील पेश की गयी है, जो किसी भी सुरत में चलने योग्य नहीं है। कथित वसीयत फर्जी बनायी गयी है। वसीयत पर वास्तव में श्यामसुंदर के हस्ताक्षर ही नहीं है तथा वह रमेशचन्द्र की अकेली लडकी है तथा वह कभी भी श्यामसुंदर के यहां गोद नहीं गयी है। श्यामसुंदर लाऔलाद फौत हुआ है। श्यामसुंद फौत हुआ उस समय

उसके पिता मांगीलाल जिन्दा थे। इस प्रकरण में मांगीलाल के वारिस कन्हैयालाल, कृष्णगोपाल, रमेशचन्द्र व कांतादेवी है। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरकरण पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर नामांतरकरण करने का अपीलांट का प्रार्थना पत्र उचित खारिज किया है, जिसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपील प्रस्तुत नही कर, अब नेचुरल वारिसान के आधार पर जायदार का इन्द्राज करने का आदेश दिया, उसके बाद अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गयी जो उचित नहीं है। अपीलांट स्वयं जानती है कि उसके हक में बनायी गयी वसीयत फर्जी है, इस कारण अपीलांट ने अपने आपको गोद पुत्री लिखा है। उक्त अपील मयाद बाहर पेश की गई है, क्योंकि अपीलांट को कथित आदेश की जानकारी पूर्व में ही थी, ऐसी स्थिति में उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जाना आवश्यक है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः Land Revenue Act. Sec. 132, RRT 2011 (1) Page 646, RRT 2017 (2) Page 1355, RRT 2009 (1) Page 500, RRD 2017 Page 525 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 5 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 02.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.2021 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 02.03.2023 को अर्थात् 02 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की गयी है। अपीलांट ने इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया है कि पक्षकारों के मध्य एक निर्णय प्रकरण में अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने

में अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन आदेश के विरूद्ध अपील आप न्यायालय में पेश करने की कानूनी सलाह दिनांक 28.01.2023 को देने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट द्वारा 02 वर्ष के विलम्ब के लिए जो आधार दिये गये हैं, वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। किसी भी पक्षकार को अपने प्रकरण के सन्दर्भ में 02 वर्षों तक अपने स्तर पर न्यायालय से जानकारी नहीं करना निःसन्देह उसकी वादकरण में रूचि नहीं होना प्रकट करता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर होकर खारिज योग्य है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 253/2021 अनवान शिवानी जोशी बनाम कन्हैयालाल जोशी व अन्य निर्णय दिनांक 16.01.2023 से विस्तृत विचेचन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 07/2021 निर्णय दिनांक 15.07.2021 में उक्त अपील में वर्णित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.03.2021 का समावेश करते हुए अपील खारिज किये जाने का निर्णय प्रसारित किया था।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.03.2021 उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा श्री मांगीलाल के फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार, कपासन समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 07/2021 हुए। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, कपासन द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2021 से मृतक मांगीलाल के बजाय विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रसाारित किया। उक्त निर्णय में सुश्री शिवानी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन व उस पर प्रसारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 का स्पष्ट वर्णन किया गया। साथ ही सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में विवादित भूमियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है। जहां तक गोद जाने का प्रश्न है, इस न्यायालय समक्ष अपीलांट अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है। उक्त अंतिम निर्णय दिनांक 02.03.2021 में

अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर तहसीलदार, कपासन द्वारा तार्किक निर्णय पारित किया और पारित निर्णय अंतिम होकर किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया। अतः अब इस न्यायालय समक्ष पुनः उसी वसीयत तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.03.2021 के आधार पर अपीलांट सुश्री शिवानी जोशी द्वारा नामांतरकरण की दाद चाहा जाना स्वीकार्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्री श्यामसुन्दर द्वारा निष्पादित वसीयत अपंजीकृत होकर नोटरीशुदा है। राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है, सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णित किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नहीं होते हैं। अपीलांट को अपने अधिकार तय कराने बाबत्‌ सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये।

विधिक स्थित स्पष्ट करती है कि जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided."

इसके अनुसार वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है-

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसका परिणाम हस्तगत अपील है, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद की स्थिति, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलांट अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वर्णित प्रकरण संख्या 09/2020 एवं 07/2021 अनवान शीर्षक वर्णित में भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलांट हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। सुश्री शिवानी

अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में विवादित भूमियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है तथा सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट बैरून मयाद एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.03.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर